

सेवा

टी0वेकटेश,
प्रमुख सचिव,
उ0प0 अम्मन

वार्गी सेवा... 2058 / क0क0/कि0/कि0
दिनांक 19/4/18 लखनऊ

मला में,

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,
मिथाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मिथाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13

लखनऊ दिनांक 12 अप्रैल, 2018

विषय - लेख संघ को विघटित कर पटों को राज बेराज निर्माण खण्ड, आगरा में समाविष्ट करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-50/अधि0-5/पुन0/76ई, दिनांक 28 मार्च, 2018 का कृपया सतर्क रहना करने का कष्ट करें।

2. इन संबंध में मुझे यह कड़ने का निर्देश हुआ कि सं0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 26/10/2017 से आरंभित आगरा शहर में राज सडक की नींव की सुरक्षा, भूजलसतर सुधारने की तुलनासह के 1.5 कि0/मी0 डायने स्ट्रीम में खर बेराज के निर्माण हेतु शासनदेश संख्या-2301/सलाहसं-13-2017-19ख0प0/17, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 द्वारा परिष्कारन निदानवपन ईकाई-3, लखनऊ को पुनर्गठित कर राज बेराज निर्माण खण्ड, आगरा का राज किया गया है।

3. उक्त खण्ड में नोफ पट की कमी के हितिगत शासकीय किन में लेख संघ काराराब को विघटित कर खण्ड के अम्मन स्वीकृत पटों टी0एच डी0 सहित राज बेराज निर्माण खण्ड, आगरा में समाविष्टन किया जाने के परस्ताव को स्वीकृत करने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारापरांत निम्नवत निर्णय किया गया है।

खण्ड का नाम जिसे विघटित किया जाना है।			खण्ड का नाम जिसमें विघटित खण्ड को समाविष्टन किया जाना है।			
खण्ड का नाम	लेख संघ का नाम	मुख्य अभियंता का नाम	खण्ड का नाम	मण्डल का नाम	मुख्य अभियंता का नाम	अभ्युक्ति
लेख संघ काराराब	राज सडक बांध	मुख्य अभियंता (पटों, नरवा)	राज बेराज निर्माण खण्ड	नवीन मण्डल मिथाई	मुख्य अभियंता (उपपन)	लेख संघ काराराब के समाविष्टन के फलस्वरुप समस्त नोफ पटों सहित एवं उक्त पटों पर अम्मन अभियंता संश टी0 एच डी सहित राज बेराज निर्माण खण्ड आगरा में समाविष्टन मान लया

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यावली सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

टी0वेकटेश
प्रमुख सचिव

AE
18/4/18

श्रीमती मधुबा
18
AE

सख्या- 564 (1)सत्ताईस-13-2018 तददिनाक।

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिल्ला सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिवगण, सिचाई एवं जल ससाधन विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक/परिक्षण एव नियोजन/परियोजना), सिचाई एवं जल ससाधन विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ अगरा/मुरादाबाद 30प्र0।
4. मुख्य अभियन्ता (अनुभवण एव मूल्यांकन), लखनऊ (यमुना) आँखला (पूर्वी गंगा) मुरादाबाद।
5. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (अधि0-5), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिचाई एवं जल ससाधन विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
6. सिचाई एवं जल ससाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
7. ✓ अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, सिचाई एवं जल ससाधन विभाग 30प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
8. मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा काष्ठ, सिचाई एवं जल ससाधन सचिव शाखा, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0सिंह)

अनु सचिव।